

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक-प. 5(31) साप्र/3/82

जयपुर, दिनांक: 19-9-14

—:आज्ञा:—

विषय :- राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक+मोबाईल+इन्टरनेट + ब्रॉडबैंड) पर एक मुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक व्यय के निर्धारण बाबत।


राजकीय अधिकारीगण के निवास पर बेसिक टेलीफोन/मोबाईल/इन्टरनेट(ब्रॉडबैंड) उपलब्ध कराने बाबत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.08.2013 से राजकीय अधिकारीगण को निवास पर टेलीफोन सुविधा (बेसिक टेलीफोन/मोबाईल/इन्टरनेट/ब्रॉडबैंड) संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार निर्धारित सीमा तक व्यय करने एवं वास्तविक व्यय का भुगतान/पुनर्भरण प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है। उक्त आदेश के संलग्न परिशिष्ट-1 में निम्नलिखित की वित्तीय सीमा निर्धारित की जाती है :-

| क्र.सं. | पद | कैटेगरी संख्या |
|---------|---|----------------|
| 1 | अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, वाशी, नवी मुम्बई। | 4 |

आज्ञा दिनांक 14.08.2013 में उल्लेखित शेष शर्तें पूर्ववत यथावत रहेंगी।


यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. सं0 131300626 दिनांक 01.01.14 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन ग्रुप 5/6 विभाग।
2. अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, वाशी, नवी मुम्बई।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन ग्रुप 4 विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।


(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

Room No. 1133, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005,

Tel. No. (Jt. Secy)-0141-2227874/941408544/. (AS)9414043554 (SO)-2227776 (Fax)-5116626, 2227928

Website: www.gad.rajasthan.gov.in, Email-gadsec111@rediffmail.com